



తెలంగాణ రాజ పత్రము
THE TELANGANA GAZETTE
PART-V EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 31]

HYDERABAD, MONDAY, AUGUST 11, 2025.

**STATUTORY NOTIFICATIONS OF THE ELECTION COMMISSION
OF INDIA AND OTHER ELECTION NOTIFICATIONS**

—X—

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, TELANGANA

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(ELECTIONS)

GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA OF TELANGANA, 2024 – ECI DISQUALIFICATION ORDERS UNDER SECTION 10A OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951 ISSUED VIDE ECI's ORDERS DATED 17.06.2025 IN RESPECT OF (02) CONTESTED CANDIDATES.

**[Memo No. 7346/Elecs.A/A1/2024, Office of the Chief Electoral Officer, Telangana
General Administration (Elections) Department, Dated: 21th June, 2025.]**

The following Order of the Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001, Dated: 17th June, 2025, 27 Jyeshtha, 1946 (Saka) is Republished:-

ORDER**No. 76/TEL-PC/2024/CEMS-II**

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Telangana, 2024 for **15-Warangal (SC)** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 105(E), dated 18th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **15-Warangal (SC)** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 03.07.2024 of District Election Officer, **Warangal** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Telangana vide his letter no. 6778/Elecs.A/A1/2024-1; dated 23.07.2024 stating that **Sh. Paithara Achyuth**, a contesting candidate from **15-Warangal (SC)** Parliamentary Constituency in General Election to Lok Sabha of Telangana, 2024, has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Warangal** a 'Show-Cause Notice' no. 76/TEL-PC/2024/CEMS-II, dated 23rd September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Paithara Achyuth**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Paithara Achyuth** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Warangal** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Warangal** in his report no. E/H2/872/2024; dated 13.11.2024 has reported that the said Show Cause Notice was served to **Sh. Paithara Achyuth** on **26.10.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Warangal** in his Supplementary Report vide letter no. H2 / 2182 / 2023; dated 22.01.2025 and 28.04.2025 on account of the candidate received through the CEO, Telangana vide his letters no. 7346/Elecs.A/A1/2024-2; dated 24.01.2025 & 01.05.2025, has reported that **Sh. Paithara Achyuth** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Paithara Achyuth** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Paithara Achyuth** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Paithara Achyuth**, resident of 2-85, **Choutuparthi Village, Parkal Mandal, Hanumakonda** and a contesting candidate from **15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency** of General Election to PC of Telangana, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR),
Secretary.

C SUDHARSAN REDDY,
*Chief Electoral Officer &
E.O. Secretary to Government.*

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/टीईएल-पीसी/2024/सीईएमएस-11

दिनांक: 17 जून, 2025

27 ज्येष्ठ, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. **O.N. 105(E)** दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में **15-वारंगल (अ.जा.)** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तेलंगाना का लोकसभा निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, तेलंगाना के **15-वारंगल (अ.जा.)** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना से उनके दिनांक 23.07.2024 के पत्र सं. 6778/Elecs.A/A1/2024-1 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **वारंगल** की रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 के अनुसार, **श्री पैथारा अच्युत**, जो तेलंगाना के **15-वारंगल (अ.जा.)** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **वारंगल** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री पैथारा अच्युत** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-पीसी/2024/सीईएमएस-11, दिनांक 23 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री पैथारा अच्युत** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **वारंगल** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी वारंगल ने अपनी रिपोर्ट सं. E/H2/872/2024 दिनांक 13.11.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री पैथारा अच्युत को दिनांक 26.10.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, वारंगल ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. H2 / 2182 / 2023 दिनांक 22.01.2025 एवं 28.04.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के पत्र सं. 7346/Elecs.A/A1/2024-2 दिनांक 24.01.2025 एवं 01.05.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री पैथारा अच्युत ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री पैथारा अच्युत ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पैथारा अच्युत अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना के 15-वारंगल (अ.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री पैथारा अच्युत, निवासी- 2-85, चौदुपार्थी गांव, पार्कल मंडल, हनुमाकोंडा आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(राकेश कुमार)

सचिव

C SUDHARSAN REDDY,
Chief Electoral Officer &
E.O. Secretary to Government.

The following Order of the Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001, Dated: 17th June, 2025, 27 Jyeshtha, 1946 (Saka) is Republished:-

No. 76/TEL-PC/2024/CEMS-II

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Telangana, 2024 for **14-Bhongir** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 105(E), dated 18th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **14-Bhongir** Parliamentary Constituency of Telangana, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Telangana vide his letter no. 6778/Elecs.A/A1/2024-1; dated 23.07.2024 stating that **Sh. Tarigoppula Mahender**, a contesting candidate from **14-Bhongir** Parliamentary Constituency in General Election to Lok Sabha of Telangana, 2024, has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** a Show-Cause Notice no. 76/TEL-PC/2024/CEMS-II, dated 23rd September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Tarigoppula Mahender**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Tarigoppula Mahender** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** in his report no. 07/2024/R, dated 21.10.2024 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Tarigoppula Mahender** on **27.09.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** in his Supplementary Report vide letter no. 07/2024/R; dated 21.10.2024 and another letter no. C4/4708/2023, dated 29.04.2025 on account of the candidate received through the CEO, Telangana vide his letters no. 7346/Elecs.A/A1/2024-2; dated 24.01.2025 and 01.05.2025, has reported that **Sh. Tarigoppula Mahender** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Tarigoppula Mahender** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
 - (b) has no good reason or justification for the failure,*
- the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Tarigoppula Mahender** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Tarigoppula Mahender**, resident of **H. No. 9-A/760, RK Nagar, Tatti Annaram Village Post. GSI, Bandlaguda, Nagole, Hyderabad – 500068, Telangana State** and a contesting candidate from **14-Bhongir** Parliamentary Constituency of General Election to PC of Telangana, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR),
Secretary.

C SUDHARSAN REDDY,
*Chief Electoral Officer &
E.O. Secretary to Government.*

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/टीईएल-पीसी/2024/सीईएमएस-II

दिनांक: 17 जून, 2025

27 ज्येष्ठ, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. **O.N. 105(E)** दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में **14-भोंगीर** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तेलंगाना का लोकसभा निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, तेलंगाना के **14-भोंगीर** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना से उनके दिनांक 23.07.2024 के पत्र सं. 6778/Elecs.A/A1/2024-1 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **यदाद्री भुवनगिरी** की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2024 के अनुसार, **श्री टैरिगोप्पुला महेंदर**, जो तेलंगाना के **14-भोंगीर** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **यदाद्री भुवनगिरी** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री टैरिगोप्पुला महेंदर** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-पीसी/2024/सीईएमएस-II, दिनांक 23 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री टैरिगोप्पुला महेंदर** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **यदाद्री भुवनगिरी** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी यदाद्री भुवनगिरी ने अपनी रिपोर्ट सं. 07/2024/R दिनांक 21.10.2024 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री टैरिगोप्पुला महेंदर को दिनांक 27.09.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, यदाद्री भुवनगिरी ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 07/2024/R दिनांक 21.10.2024 और एक पत्र सं. C4/4708/2023 दिनांक 29.04.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के पत्र सं. 7346/Elecs.A/A1/2024-2 दिनांक 24.01.2025 एवं 01.05.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री टैरिगोप्पुला महेंदर ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री टैरिगोप्पुला महेंदर ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री टैरिगोप्पुला महेंदर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना के 14-भोंगीर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री टैरिगोप्पुला महेंदर, निवासी- म. न. 9-A/760, आरके नगर, तात्ती अन्नाराम गांव पोस्ट. जीएसआई, बंदलागुडा, नागोले, हैदराबाद – 500068, तेलंगाना राज्य आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव

C SUDHARSAN REDDY,
Chief Electoral Officer &
E.O. Secretary to Government.